झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-04

बुधवार, दिनांक-08 सितम्बर, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.42 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त अंगवस्त्र पहनकर नारेबाजी करने लगे,

ii- माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम ने इस पर आपत्ति जताते हुए दिनांक-07.09.2021 को सदन में माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कही गयी बातों के लिए खेद प्रकट कराये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नो का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-27

(क) उत्तरित कुल-02, अ० सू०-51, श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स०,

(उक्त प्रश्न पर विशेष समिति गठित किये जाने की घोषणा आसन से की गयी।)

अ० सू०-52, डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र-01, अ० सू०-53, श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-24, अ० सू०-54 से अ०सू०-77 तक।

(इस क्रम में आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव तथा माननीय सदस्या, श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता को निदेश दिया गया कि माननीय सदस्य, श्री नारायण दास, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता एवं माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं, उन्हें ससम्मान सदन में लाया जाय। इस अवसर पर उन्हें सदन में ससम्मान लाया गया।)

3.विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने हेतु अनुरोध किया,

ii- माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में स्थानीय युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया और सदन को संसूचित किया कि वे शीघ्र ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, इसके लिए उन्होंने आग्रह पत्र भी मेल के द्वारा प्रेषित किया है,

iii- माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो ने स्थानीयता का आधार एवं ओ.बी.सी. के मुद्दों को स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया,

iii- माननीय मंत्री, श्री बन्ना गुप्ता ने दिनांक-07.09.2021 को सदन में माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कही गयी बातों के लिए खेद प्रकट कराये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया,

P.T.O.

iv- माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार का समर्थन करते हुए राज्य में आदिवासियों की घटती हुई जनसंख्या पर चिन्ता जाहिर की,

v- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की ने स्थानीय को रोजगार दिये जाने सम्बन्धी सदन में आये विषयों के संदर्भ में आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

vi- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष-2005 में पिछड़ों को आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी न्याय निर्णय की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

vii- माननीय मुख्यमंत्री ने देश के किसानों द्वारा किये जा रहे आंदोलन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

(इस क्रम में पुनः भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

4.प्रश्नकाल(क्रमांक-2 से जारी):-

आज के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-63

(क) उत्तरित मात्र-01,	तारां०-वन-05, श्री संजीव सरदार,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ कुल-05,	तारां०-94, श्री समरी लाल,	स०वि०स०,
	तारां०-95, श्री भानू प्रताप शाही,	स०वि०स०,
	तारां०-96, श्री अमित कुमार यादव,	स०वि०स०,
	तारां०-97, श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,	स०वि०स०,
	तारां०-98, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	स०वि०स०।
(ग) स्थगित मात्र-01,	तारां०-99, श्री लोबिन हेम्ब्रम,	स०वि०स०।
(घ) अनागत कुल-56,	तारां०-101 से तारां०-155 तक।	

(इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री नारायण दास ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोले जाने हेतु आसन से आश्वासन की अपेक्षा की जिसपर माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो ने अपने द्वारा मांगी गयी जानकारी यथा- स्थानीयता, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तथा जातिगत जनगणना के सम्बन्ध में सरकार से जवाब अपेक्षा की।)

5.शून्यकाल:-

आज के लिए स्वीकृत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनाये पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री बंधु तिर्की,
डॉ० लम्बोदर महतो,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्री भूषण तिर्की,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री समीर कुमार मोहंती,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री भूषण बाड़ा,

श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,
श्री प्रदीप यादव।

इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, डॉ० शशिभूषण मेहता, श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, श्री केदार हजरा, डॉ० नीरा यादव, श्री नारायण दास, श्री बिरंची नारायण, श्री अनन्त कुमार ओझा एवं श्री किशुन कुमार दास द्वारा आसन से पुकारे जाने के बाद भी शून्यकाल की सूचनायें नहीं पढ़ी गयी।

(इस अवसर पर माननीय सदस्या, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने स्थानीय संवेदकों को टेण्डर में प्राथमिकता देने हेतु आसन से अनुरोध किया।)

6.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा जातिगत जनगणना कराये जाने, श्री मनीष जायसवाल द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों का धर्म परिवर्त्तन कराये जाने, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा पूर्व से कार्यरत अनुबंधकर्मियों की नियुक्ति किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा झारखण्ड राज्य में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्तावों को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा इनके नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया।

माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव विधान सभा से सम्बन्धित होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

7.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(इस अवसर सत्तापक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर दिनांक-07.09.2021 को सदन में माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कही गयी बातों के लिए खेद प्रकट कराये जाने हेतु आसन से अनुरोध किये जाने पर भारी शोरगुल होने लगा।)

8.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2018-19 का झारखण्ड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखा गया। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा जो विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, पर ध्वनिमत से सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई,

ii- माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, 2018-2020 (01 जुलाई-2018 से 30 जून, 2020 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

P.T.O

iii- माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्री जगरनाथ महतो द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् (समग्र शिक्षा) का वर्ष-2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

9.निवेदन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-263(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक-03.09.2021 से दिनांक-07.09.2021 तक स्वीकृत कुल-27 निवेदनों को सभा की सहमति से सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

(भारी शोरगुल)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए सूचित किया कि धरना-प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई लोग घायल हो गये हैं।)

(भारी शोरगुल)

10.विधायी कार्य:-

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-20, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-01, खण्ड-02 का उपखण्ड (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 से 13 तक, 14, 15, 16, 17 एवं 18), खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

P.T.O.

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-10, खण्ड-11, खण्ड-12 से खण्ड-15, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक-09.09.2021 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 08, सितम्बर, 2021ई०।